

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 25.06.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 43 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना करनैलंगज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. तीरथ राम सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह निवासी हरदिन पुरवा मौजा काशीपुर थाना कोतवाली करनैलंगज गोंडा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं-256/22, 2. पप्पू सिंह पुत्र भगवान बक्स सिंह निवासी हरदिन पुरवा मौजा काशीपुर थाना कोतवाली करनैलंगज गोंडा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं- 257/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामानन्द पुत्र रामफेर निवासी अशरफपुर थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं- 215/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. हरिशचन्द पुत्र पिताम्बर निवासी ग्राम अहिरौलिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं- 182/22, 2. जगदम्बा सोनकर पुत्र रामदेव सोनकर निवासी ग्राम अहिरौलिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं- 183/22, 03. राजू पुत्र टेढी नि० ग्रा० पण्डितपुरवा मौजा रायपुर ब्रह्मचारी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं- 186/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 25.06.2022

नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त प्रेमबच्चन यादव उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया। उक्त अभियुक्त ने थाना मनकापुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भाग ले गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना मनकापुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मनकापुर में विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. प्रेमबच्चन यादव उर्फ गुड्डू पुत्र रामकिशुन यादव उर्फ पिलारे निवासी चांदपुर दुर्गापुर थाना को0मनकापुर जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-166/22, धारा 363,344,376(2)N भादवि व 5L/6 पॉक्सो ऐक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 कन्हैया दीक्षित मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 25.06.2022

नशीली गोलियों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपूर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त मोहम्मद अयूब को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अल्प्राजोलम 36 टेबलेट(360 गोली) बरामद किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगूपूर में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मोहम्मद अयूब पुत्र मेहंदी हसन निवासी ग्राम विसुनापुर वेलभरिया थाना खरगूपूर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-136/22, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना खरगूपूर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 36 टेबलेट अल्प्राजोलम ।

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 दूधनाथ चतुर्वेदी मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 25.06.2022

चोरी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस ने चोरी करने का वांछित अभियुक्त राजू पुत्र स्व० राजकुमार उर्फ ननके को गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 20.05.2022 की रात्रि वादी विरेन्द्र सोनकर पुत्र रामप्रित नि० ग्रा० नेपालपुरवा मौजा खिराभा थाना को०नगर, जनपद गोण्डा के दुकान में घुसकर डी०जे० का सामान व रू० 10,000/- चोरी की थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना को० नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राजू पुत्र राजकुमार नि० नेपालपुरवा मौजा खिराभा थाना को०नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु०अ०सं०-360/22, धारा 380, 457 भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ०नि० दिलीप कुमार उपाध्याय मय टीम।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन मे थाना मोतीगंज के त्वरित कार्यवाही से 02 व्यक्तियों के फ्रॉड की गई धनराशि ₹11,000/- मिलने पर पीड़ित युवको के चेहरे पर लौटी मुस्कान, गोण्डा पुलिस को हृदय से दिया धन्यवाद।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में थानों पर स्थापित साइबर हेल्प-डेस्क द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु समय-समय पर जन-जागरुकता अभियान चलाकर साइबर अपराधो से बचाव हेतु जनसामान्य को जागरुक किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ साइबर अपराधों की सूचना मिलने पर तत्काल थानों पर बनी साइबर हेल्पडेस्क को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भी निर्देशित किया गया है। इसी के क्रम में साइबर अपराध पीड़ित 1.शिव कुमार वर्मा निवासी ग्राम मतवरिया थाना मोतीगंज जनपद गोंडा व 2. अतुल कुमार यादव निवासी ग्राम बिरवा बभनी थाना मोतीगंज जनपद गोंडा ने थाना मोतीगंज में स्थापित साइबर हेल्प-डेस्क को अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में फ्रॉड कॉल पर रु011,000/- ठगी कर लिये जाने की शिकायत की थी। जिस पर साइबर हेल्प-डेस्क थाना मोतीगंज द्वारा साइबर सेल गोण्डा से सम्पर्क स्थापित कर सम्बंधित बैंक के सहयोग से तत्काल कार्यवाही करते हुए फ्रॉड की गयी धनराशि रु011,000/- को होल्ड कराते हुए पीड़ित के खाते वापस कराया। फ्राड गये रकम वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा गोण्डा पुलिस को सहृदय धन्यवाद दिया गया। जिसकी आमजनमानस में प्रशंसा की जा रही है।

